Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding fire incident that occurred in illegal factory in Delhi’s Anaj Mandi.

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल रविवार, दिनांक 8.12.2019 को दिल्ली के रानी झांसी रोड पर स्थित अनाज मण्डी के रिहाइशी इलाके में एक अवैध फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड में लगभग 45 मजदूरों की मृत्यु हो गई । इस घटना में घायल हुए 25 लोग अभी भी जीवन और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं ।

यह अग्निकांड पूर्णत: लापरवाही और नियमों की अनदेखी के कारण घटित हुआ है । जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि ज्यादातर मजदूर लोग, जो इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वे बिहार के रहने वाले थे । इन लोगों के परिवार में अन्य कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं है । राज्य सरकार एवं अन्य संस्थाओं ने थोड़ी-बहुत मुआवजे की घोषणा की है । मेरे नेता माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी सभी पीड़ित परिवारों को दो-दो लाख रुपए देने की घोषणा की है ।

महोदय, यह देखा जा रहा है कि देश भर में, जिस प्रकार से अवैध फैक्ट्रियों में लगातार घटनाएँ घटित होती जा रही हैं, वे पूर्ण रूप से लापरवाही और नियमों को सही ढंग से पालन नहीं करने के कारण होती हैं । आकस्मिक आग से निपटने का कानून तो है, परंतु उसका पालन सही रूप से नहीं किया जा रहा है, जिसका खामियाजा गरीब, मजदूर एवं कार्यरत कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है ।

माननीय अध्यक्ष: श्री *m02 गोपाल जी ठाकुर को श्री सुनील कुमार पिंटू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, अभी जो दिल्ली

का विषय जीरो आवर में आया था, उस पर माननीय गृह मंत्री जी सदन में कल वक्तव्य देने वाले हैं ।

-

13.49 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापतिः माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा । जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर भेज दें । केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा, जो निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गए हैं, शेष को व्यपगत माना जाएगा ।